<u>न्यायालय :- सेशन न्यायाधीश, धौलपुर(राज०)</u>

<u>लिंक पीठासीन अधिकारी:- गोपाल सैनी, R.J.S.(D.J. Cadre)</u>

<u>विविध फौजदारी प्रकरण सं. 594/2026</u>

देवेन्द्र सिंह पुत्र श्याम सिंह, आयु करीब 29 साल, निवासी ग्राम तसीमो, थाना सैंपऊ, जिला-धौलपुर (राज.)

...प्रार्थी/अभियुक्त

-: बनाम:-

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, धौलपुर

....अप्रार्थी/अभियोगी

''अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 111/2024, पुलिस थाना सैंपऊ, धौलपुर अपराध अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471 भा.दं.सं.

उपस्थितः-

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से श्री अमर कान्त त्यागी, विद्वान अधिवक्ता
2. श्री बी.एस. नारौलिया, विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

-: आदेश :- दिनांक- 02.06.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 111/24 थाना सैंपऊ, धौलपुर के प्रकरण में अग्रिम जमानत चाहने बावत् यह अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जरिये अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी के राजकार्य से बाहर होने के कारण लिंक न्यायालय की हैसियत से मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ । जमानत आवेदन की नकल विद्वान लोक अभियोजक को दिलाई जा चुकी है । उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। संबंधित अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2. प्रकरण के तथ्यानुसार इस मामले में सरपंच ग्राम पंचायत तसीमों नीलम परमार द्वारा थाना सैंपऊ पर दिनांक 14.03.25 को एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी कि खसरा नंबर 1991 रकवा 0.0506 हैक्टेयर वाके ग्राम तसीमो राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी भूमि दर्ज रिकॉर्ड है जो चौराखेड़ा सड़क मार्ग से लगी होने से वेशकीमती थी। जिस पर भू माफियाओं की पैनी नजर थी तथा नाजायज कब्जे व निर्माण एवं उक्त सरकारी जमीन पर फर्जी पट्टा जारी करने की शिकायत ग्रामीणों ने माननीय जिला कलक्टर महोदय, धौलपुर को ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम दिनांक

07.03.24 को तसीमो में की गयी जिस पर एक्शन लेते हुए जिला कलक्टर ने फर्जी पट्टा की नकल जारी करने के तहसीलदार को निर्देश दिये और थानाधिकारी, सैंपऊ को एवं ग्राम पंचायत तसीमों को फर्जी पट्टा प्रकरण की रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश दिया था। उक्त मामले में ग्राम पंचायत द्वारा जांच करने पर पाया गया कि बुक संख्या 13, पट्टा संख्या 11 जारी दिनांक 02.10.2019 देवेन्द्र सिंह पुत्र श्याम सिंह निवासी तसीमों, बुक संख्या 13, पट्टा संख्या 12 जारी दिनांक 02.10.2019 आशीष पुत्र कम्मोद सिंह निवासी तसीमों, व बुक संख्या 13 पट्टा संख्या 13 जारी दिनांक 02.10.2019 मनीषा पत्नी कम्मोद सिंह निवासी तसीमो ने साजिश करके कूटरचित एवं फर्जी उक्त पट्टा तैयार करा लिये जिन पर ज्योति सरपंच ग्राम पंचायत व सचिव तसीमों के हस्ताक्षर मोहर अंकित हैं। उक्त पट्टों के पीछे खसरा नंबर 1991 सरकारी भूमि सिवायचक को गैर मुमकिन आबादी भी दर्शा दिया गया है। पट्टों को प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 15.08.23 के अनुसरण में पुनः विधि मान्यकरण का फर्जी नोट भी अंकित करा दिया गया है जिसमें ग्राम विकास अधिकारी तसीमों की फर्जी सील लगाकर फर्जी हस्ताक्षर भी करा लिये गये हैं जबकि दिनांक 15.08.23 के प्रस्ताव में इन पट्टों के बारे में कार्यवाही रजिस्टर में पुनः विधि मान्यकरण का कोई उल्लेख ही नहीं है। उक्त पट्टों की ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में कोई ओ/सी नहीं है। उक्त भू माफियाओं ने अपने नाम फर्जी पट्टा तैयार कराके दिनांक 22.09.23 को उक्त तीन पट्टों को तहसीलदार (सब रजिस्ट्रार) सैंपऊ से रजिस्टर्ड भी करा लिये जिससे सरकारी जमीन पर कब्जा कर सकें। उक्त पट्टा फर्जी बनाने में सरकारी खसरा नंबर 1991 को पट्टों में गैर मुमकिन आबादी के रूप में दर्शाया गया है । जबकि ग्राम पंचायत को केवल आबादी भूमि में ही पट्टा देने के अधिकार हैं। उक्त पट्टों पर बतौर गवाहान कम्मोद सिंह व रामरूप के हस्ताक्षर हैं जो भू माफिया पट्टा धारकों के सदस्य हैं। तसीमों में फर्जी पट्टा बनाने में कुछ लोग संलिप्त हैं जिन्होंने ब्लैंक पट्टा बुक लेकर सरपंच, सचिव ग्राम पंचायत तसीमों के फर्जी हस्ताक्षर सील लगाकर फर्जीवाड़ा व कूटरचित दस्तावेज तैयार रहे हैं, इसके अलावा अन्य सरकारी भूमि से भी फर्जी पट्टा बनाने/जारी होने की आशंका है.....आदि। जिस पर आरक्षी केन्द्र सैंपऊ जिला-धौलपुर पर प्राथमिकी संख्या 111/2024 दर्ज कर अनुसंधान जारी है व जारी अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 471 भा.दं.सं. का आरोप प्रमाणित पाया गया है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि उसे झूंठा फंसाया गया है, एफ आई आर में अंकित समस्त तथ्य मनगढंत व झूंठे अंकित किये गये हैं, प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध इस प्रकार का कोई तथ्य नहीं है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई फर्जी व कूटरचित

दस्तावेज तैयार किया हो । ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा पट्टे विधिवत रूप से ग्राम पंचायत की बैठक में जारी किये गये व उक्त पट्टे को ग्राम सभा के प्रस्ताव संख्या 3 के अनुसरण में पट्टे का पुर्नविधिकरण भी बी.डी.ओ. द्वारा किया गया था व पट्टा पंजीयन कार्यालय सैंपऊ द्वारा पंजीकृत किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई कूटरचित दस्तावेज तैयार नहीं किया है तथा न ही कोई धोखा-धड़ी की है, प्रार्थी/अभियुक्त की प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिये पुलिस इस प्रकरण में उसे गिरफ्तार करना चाहती है । प्रार्थी/अभियुक्त अनुसंधान में सहयोग करने को तैयार है । अतः प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जावे।

4 विद्वान लोक अभियोजक ने कथन किया कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धोखे से पट्टे जारी कराने के आरोप में अनुसंधान जारी है, उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. उभय पक्ष द्वारा दिये गये तर्को पर मनन किया गया एवं संबंधित अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है व प्रकरण में अनुसंधान जारी है व अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 471 भा.दं.सं. का आरोप प्रमाणित पाये जाना बताते हुए प्रार्थी/अभियुक्त की तलाश जारी रहना बताया गया है । चूंकि प्रकरण में अनुसंधान जारी है, सह अभियुक्ता मनीषा की अग्रिम जमानत याचिका पूर्व में माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है । माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 2014 किमी.एल.आर. (एससी) 94 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि The above provision makes it clear that the power exercisable under Section 438/482 BNSS of the Code is somewhat extraordinary in character and it is to be exercised only in exceptional cases where it appears that the person may be falsely implicated or where there are reasonable ground for holding that a person accused of an offense is not likely to otherwise misuse his liberty. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री के आधार पर प्रार्थी की अपराध में संलिप्तता प्रथमदृष्टया प्रकट होती है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीर प्रकृति को देखते हुए इस प्रकम पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी न करते हुए प्रार्थी को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त देवेन्द्र सिंह पुत्र श्याम सिंह, आयु करीब 29 साल, निवासी ग्राम तसीमो, थाना सैंपऊ, जिला-धौलपुर (राज.) की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 111/24 पुलिस थाना सैंपऊ, धौलपुर से संबंधित प्रकरण में प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(गोपाल सैनी)
(लिंक अधिकारी)
सेशन न्यायाधीश, धौलपुर

8. यह आदेश आज दिनांक 02.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(गोपाल सैनी)
(लिंक अधिकारी)
सेशन न्यायाधीश, धौलपुर